जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

101/15

मुन्तकिली प्रकरण सं0 101/2015 अनवानी सरपंच ग्राम पंचायत मानकसर तहसील सूरतगढ जरिये सरपंच प्रमोद कुमार बनाम 1–उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ श्री रामचन्द्र पोटलिया 2–प्रहलाद पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी 6 बी.के.एम. तहसील सूरतगढ 3–जीवणराम पुत्र लाखाराम जाति चमार निवासी मानकसर जरिये मु0आम जगदीश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.05.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 97/2015 अनवानी प्रहलाद बनाम सरपंच ग्राम पंचायत वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्राथी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

933
18-5-16

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर